जनगणना

पत्र संख्या -4/जन०-55/2000-306 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक

श्री विजय शंकर दूबे,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना - 15, दिनांक - 10.5.2000

विषय: भारत की जनगणना 2001 के सभी कार्यों को ससमय एवं कुशलता पूर्वक सम्पादित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक तत्कालीन मुख्य सचिव श्री एस० एन० विश्वास के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक 4/जनगणना-27/99-28/रा. दिनांक 15.1.2000 तथा 4/स्था.-जन-23/99-29/रा. दिनांक 15.1.2000 का निदेश करें जिसके माध्यम से भारत की जनगणना 2001 के कार्यों के संबंध में आपको अवगत कराया गया है तथा निदेशक, जनगणना द्वारा प्रेषित पत्रों एवं परिपत्रों के माध्यम से दिये गये निदेशों को सरकार का आदेश मानते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है ताकि यह राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम विगत जनगणनाओं की तरह ससमय एवं सफलतापूर्वक आयोजित हो सके । आशा है उक्त पत्र के माध्यम से दिये गये निदेशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा होगा ।

आप अवगत होंगे कि भारत की जनगणना 2001 के प्रथम चरण अर्थात् मकान सूचीकरण कार्य इस राज्य में 15 मई से 15 जून 2000 की अवधि के बीच कराया जाना है । इस कार्य हेतु प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की काफी बड़ी संख्या में आवश्यकता होती है तथा प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के रूप में प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों के शिक्षकों तथा अन्य विभागों के भी कर्मचारियों को नियुक्त करने की परम्परा रही है। आशा है कि उपरोक्त पत्र में निहित निदेशों के आलोक में आपके द्वारा वांछित संख्या में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करली गयी होगी तथा इन सभी प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को नजरी नक्शा बनाने, मकानसूची अनुसूची भरने आदि संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका होगा ।

जनगणना के कार्यों को सही ढंग से सम्पन्न कराने के लिए राज्य सरकार के सभी विभाग अपने-अपने स्तर से सभी आवश्यक सहयोग देंगे तथा जहाँ आवश्यकता होगी वहां अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवायें भी उपलब्ध करायेंगे । इस संबंध में कोई भी कठिनाई होने पर संबंधित जिला पदाधिकारी/उपायुक्त तत्काल राज्य सरकार को सूचित करेंगे ताकि दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके । यह एक बार पुन: स्पष्ट किया जाता है कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का एक समयबद्ध कार्यक्रम है जिसमें किसी भी स्तर पर त्रुटि या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी ।

निदेशक, जनगणना परिचालन, बिहार, पटना के द्वारा अनुरोध किये जाने के बाद भी सभी जिलों से वर्ष 2000-2001 के बजट में सम्मिलित करने हेतु जनगणना कार्यों पर व्यय होने वाली राशि का अनुमानित विवरण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को नहीं भेजा गया जिसके कारण राज्य सरकार के बजट में जनगणना कार्यों पर व्यय किये जाने हेतु राशि का प्रावधान नहीं हो सका । यह खेद जनक है । फिर भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के द्वारा जनगणना कार्यों हेतु राशि का प्रावधान करने की कार्रवाई की जा रही है और अतिशीघ्र सभी जिलों को आवंटन भेज दिये जाने की संभावना है । सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्त कृपया तत्काल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को राशि की आवश्यकता के अनुरूप प्रथम अनुपूरक बजट में प्रावधान करने के लिए प्रस्ताव देंगे ताकि ऐसी समस्यापुन: उत्पन्न न हो । इस बीच राशि की अनुपलब्धता के कारण मकान सूचीकरण कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, यह सनिश्चित किया जाना है । जनगणना राष्ट्रीय महत्व का एक अति आवश्यक कार्य है जिसे निर्वाचन कार्य की तरह ही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाना है तथा इसमें किसी भी स्तर पर कोई त्रुटि या लापरवाही नहीं होनी चाहिये अन्यथा त्रुटि या लापरवाही करनेवाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध सख्ती से कार्रवाई की जायेगी।

आशा है कि इस महत्वपूण कार्य में अपने उत्तरदायित्व को भली-भांति समझते हुए आप व्यक्तित प्रयास के द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में भारत की जनगणना 2001 के कार्यों को समय पर एवं कुशलतापूर्वक निष्पादित करायेंगे । विगत जनगणनाओं में बिहार का प्रदर्शन पूरे देश में श्रेष्ठ रहा है और आशा है कि आप सभी के सहयोग एवं परिश्रम से यह राज्य अपनी गौरवमय परम्परा को बनाये रखने में सफल होगा ।

आपका विश्वासभाजन,

(विजय शंकर दूबे)
मुख्य सचिव, बिहार

पत्र संख्या -4/जन०-27/99 28 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक

श्री एस० एन० विश्वास
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त

पटना - 15, दिनांक - 15.1.2000

विषय: दशकीय जनगणना 2001 के सफल कार्यान्वयन हेतु निदेशक, जनगणना द्वारा निर्गत परिपत्र/ अनुदेशों को मान्यता देने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहना है कि आगामी दशकीय जनगणना जो इस श्रृंखला की 14वीं जनगणना होगी, फरवरी-मार्च, 2001 में संपन्न की जायेगी । भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार इसकीसंदर्भ तिथि (Reference date) 1 मार्च, 2001 होगी । (अधिसूचना संख्याएस० ओ० 474 (ई) ।

2- आगामी जनगणना 2001, दो चरणों में आयोजित की जाएगी । प्रथम चरण के रूप में मकान सूचीकरण (Houselisting) कार्य अप्रैल-जून, 2000 में आयोजित होगा जबकि वास्तविक परिगणना (Actual Enumeration) कार्य फरवरी मार्च, 2001 में आयोजित किया जाएगा ।

3- जनगणना अधिनियम 1948 में निहित निदेशों के अनुसार जनगणना कार्य के संचालन की जिम्मेवारी संयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकारएवं राज्य सरकार दोनों कीही है । भारत सरकार की जनगणना संबंधी उपलब्धियाँ केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के प्रशासनिक तंत्र के सम्मिलित अनवरत प्रयास से ही संभव होती रही हैं । केन्द्र सरकार द्वारा वांछित अनुदेश एवं तकनीकी परामर्श निर्गत किये जाते हैं तथा राज्य सरकार की मशीनरी द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाता है । इस राष्ट्रीय महत्व एवं प्रशासनिक कार्य में बहुत अधिक संख्या में कर्मचारियों कीसेवाओं की आवश्यकताहोती है जिसे राज्य सरकारके सभी विभागों तथा अन्य संस्थाओं से पूरा कियाजाता है पूर्व कीजनगणनाओं के अनुभव के आधार पर प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं राजस्व कर्मचारी, जनसेवक एवं अन्य विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी, जिनका जनता सेसीधा संपर्क रहता है, इस कार्य के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किये जाते हैं । 2001 जनगणना कार्य के सफल आयोजन हेतु भी ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी । अत: सरकार चाहती है कि जिला प्रशासकों द्वारा ऐसे जितने भी कर्मचारियों की आवश्यकताहोउन्हें जनगणना कार्य हेतु प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त करें । जनगणना 2001 के दोनों महत्वपूर्ण चरणों यथा मकान सूचीकरण एवं परिगणना के दौरान इन प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की सेवाओं की आवश्यकता होगी । सरकार द्वारा पुन: इस संदर्भ में आवश्यकतानुसार और भी अनुदेश/परिपत्र उपायुक्त समय पर निर्गत किये जायेंगे ।

4- देश के समग्र (आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, औद्योगिक, कृषि, दूरसंचार आदि) विकास हेतु जनगणना के दौरान संकलित सांख्यिकी आंकड़ों के महत्व से सभी परिचित हैं । जन कल्याणकारी राज्य की नीतियों, विकास योजनाओं एवं विशुद्ध वितरण प्रणाली कीनींव विशुद्ध ठोस सकलित सांख्यिकी आंकड़े ही होते हैं । आगामी जनगणना के दौरान आंकड़े संग्रहित करते समय राष्ट्रीय योजना और विकास संबंधी प्रयासों की प्राथमिकताओं के बढ़ते क्षेत्र को ध्यान में रखना होगा । अत: यह स्पष्ट है कि 2001 की जनगणना, जो आगामी सहस्त्राब्द की पहली जनगणनाहोगी के दौरान आंकड़ों का संग्रह अपेक्षाकृत और अधिक विस्तृत होगा ।

5- पिछले दशाब्दों में जनगणना कार्य क क्षेत्र में इस राज्य का काफी सराहनीय रिकार्ड रहा है । आशा है कि जनगणना 2001 के दौरान राज्य का पूर्व रिकार्ड न सिर्फ कायम रहेगा, बल्कि उससे भी उत्तम एवं बेहत्तर रिकार्ड रहेगा । जनगणना कार्य के महत्व को ध्यान में रखते हुएइसे पूरी सावधानी एवं तत्परता से संपन्न करना होगा । हमारे कार्य का परिणाम बिल्कुल सही शुद्ध एवं दोष रहित होना चाहिए । इसके लिए उचित व्यवस्था कीजरुरत होगी, जिसमें भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारी का कार्य एवं उत्तरदायित्व स्पष्टत: निर्धारित रहेगा, उन्हें लगातार कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, निरन्तर पर्यवेक्षण करना पड़ेगा औरसमय तालिका का कड़ाई से एवं अक्षरश: पालन करना पड़ेगा । सरकार चाहती है कि आगामी जनगणना कार्य में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए । शिथिलता बरतने वाले कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

6- जनगणना कार्य हेतु विभिन्न स्तर के दक्ष प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की बड़े पैमाने पर प्रतिनियुक्ति आवश्यक होगी तथा विस्तृत प्रश्नावली को ध्यान में रखते हुए सम्यक रूप से एवं सुनियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आवश्यक होंगे । सरकार चाहती है कि आप जनगणना संबंधी कार्य में व्यक्तिगत अभिरुचि लें । आपकी व्यक्तिगत अभिरुचि पर ही आपके जिले के जनगणना कार्य की शुद्धता और सफलता मुख्यत: निर्भर करती है ।

7- जैसा कि आप अवगत हैं, 2001 की जनगणना की प्रारंभिक व्यवस्था का कार्य आरंभ किया जा चुका है । श्री सुधीर कुमार राकेश, भा0 प्र0 से0 ने निदेशक, जनगणना परिचालन, बिहार के रूप में अपना पदभार ग्रहणकरलिया है औरसंभवत: उन्होंने आपसे पत्राचार भी प्रारंभ कर दिया होगा । सरकार चाहती है कि निदेशक, जनगणना कीओर से जारी किये गये अनुदेशों/परिपत्रों के प्रति सभी राज्य सरकारके सम्बद्ध पदाधिकारी एवं कर्मचारी उसी तरह की सावधानी बरतें एवं वैसा ही महत्व दें, जिस तरह वे सरकार के निदेशों के प्रति सावधानी बरतते हैं और ध्यान देते हैं । सरकार पुन: दुहराना चाहती है कि 2001 जनगणना कार्य में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं अनन्य मनसकता नहीं होनी चाहिए। किसी तरह की शिथिलता अथवा लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन कार्य की तरह जनगणना कार्य को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

8- इन अनुदेशों की जानकारी अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को अविलम्ब दे दी जाय तथा इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाय ।

आपका विश्वासभाजन,

ह०/-

(एस0 एन0 विश्वास)

मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक-4/जनगणना-27/99 -28 / रा०, पटना - 15, दिनांक 15.1.2000

प्रतिलिपि महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, भारत, गृह मंत्रालय भारत सरकार, 2/ए मानसिंह रोड, नई दिल्ली - 110011 को सूचनार्थ प्रेषित

ह०/-

(एस0 एन0 विश्वास)

मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक-4/जनगणना-27/99-28/ रा०, पटना - 15, दिनांक 15.1.2000

प्रतिलिपि निदेशक, जनगणना परिचालन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(एस0 एन0 विश्वास)

मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक-4/जनगणना-27/99-28/ रा०, पटना - 15, दिनांक 15.1.2000

प्रतिलिपि सभी अपर समाहर्त्ता/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी नगर निकाय अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(एस0 एन0 विश्वास)

मुख्य सचिव, बिहार

पत्र संख्या -4/स्था0-जन०-23/99 29 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक

श्री एस0 एन0 विश्वास
मुख्य सचिव, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी विभागों के प्रधान सचिव,
सभी आयुक्त एवं सचिव,
सभी सचिव/विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना
सभी समाहर्त्ता/सभी उपायुक्त

पटना - 15, दिनांक - 15.1.2000

विषय: जनगणना 2001 की अवधि में स्थानीय निकायों से संबंधित निर्वाचन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत की अगली दशकीय जनगणना आगामी सहस्त्राब्द की पहली जनगणना के रूप में आयोजित की जा रही है । यह जनगणना दो मुख्य चरणों में संचालित की जाएगी । प्रथम चरण के रूप में मकान सूचीकरण का कार्य आयोजित होगा, जो इस राज्य में अन्य राज्यों की तरह अप्रील जून, 2000 के दौरान संपादित किया जाएगा । दूसरा महत्वपूर्ण चरण वास्तविक परिगणना (Population Count) का होगा जो बिहार सहित सारे देश में 9 फरवरी से 28 फरवरी 2001 (संदर्भ विधि 1 मार्च 2001) के दौरान संचालित किया जाएगा।

अत: परिगणना संचालन के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा निर्गत गजट अधिसूचना संख्या- का0 आ0 474 (अ), दिनांक-8 जून 1999 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि जनगणना 2001 के ऊपर उल्लिखित दो महत्वपूर्ण चरणों के कार्यों को ध्यान में रखते हुए उस दौरान कोई भी स्थानीय निकाय के निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित न करें ताकि यह राष्ट्रव्यापी कार्य विगत जनगणनाओं की तरह सफलतापूर्वक ससमय आयोजित हो सके ।

आपका विश्वासभाजन,

ह० /-

(एस0 एन0 विश्वास)

मुख्य सचिव, बिहार, पटना

ज्ञापांक -4/स्था0-जनगणना-23/99 29 रा० पटना 15 दिनांक 15.1.2000

प्रतिलिपि : 1. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार 2/ए मानसिंह रोड, नई दिल्ली -110011

2. निदेशक जनगणना परिचालन, बिहार, बोरिंग केनाल रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह० /-

(एस0 एन0 विश्वास)

मुख्य सचिव, बिहार, पटना

पत्र संख्या -4/स्था0/सेवा0/जन0-14/99 860 / रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक

श्री एस0 एन0 विश्वास

मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी विभागों के प्रधान सचिव,
सभी आयुक्त एवं सचिव,
सभी सचिव/विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता/सभी उपायुक्त

पटना - 15, दिनांक - 4.9.99

विषय: जनगणना 2001 जनगणना कार्य के संपादन हेतु प्रशासनिक इकाइयों की सीमा स्थिर रखने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली के पत्रांक -9/20/99 सी0 डी0 दिनांक -22 जून 99 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहना है कि 2001 दशकीय जनगणना की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है । संपूर्ण देश में मकानों पर नंबर देने तथा मकान सूचीकरण का कार्य अप्रील 2000 से प्रारंभ किया जाएगा तथा वास्तविक परिगणना कासंचालन फरवरी-मार्च 2001 में किया जाएगा । 2001 जनगणना के इन दोनों महत्वपूर्ण चरणों के कार्य राज्य की वर्तमान प्रशासनिक इकाईयों के अंतर्गत अवस्थित क्षेत्रों को छोटे-छोटे प्रगणक ब्लॉकों (Enumeration Blocks) में विभाजित कर किये जायेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य का कोई भी क्षेत्र जनगणना कार्य से वंचित न रह जाय तथा मकान सूचीकरण कार्य एवं वास्तविक परिगणना का कार्य दोष रहित रूप से संचालित किया जा सके ।

2- सम्पूर्ण जनगणना कार्य कुशलतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से संपादित किया जा सके, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि शहरी एवं ग्रामीणक्षेत्रों कोप्रशासनिक इकाइयों की वर्तमान सीमाओं को तब तक अक्षुण्ण रखा जाय जब तक कि 2001 की जनगणना के अंतर्गत मकानसूचीकण एवं परिगणना से संबंधित सभी कार्य संपन्न नहीं हो जाते हैं । आगामी जनगणना हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्राधिकारों के पुनरीक्षण एवं अद्यतीकरण का कार्य जनगणना निदेशालय, बिहार के द्वारा कियाजारहा है जो करीब करीब समाप्ति पर है । मकान सूचीकरण कार्य के पूर्व प्रत्येक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रगणक ब्लॉकों के सीमांकन का कार्य दिनांक 1.1.2000 से आरंभ किया जाएगा । अत: यह अतिआवश्यक है कि वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन 1.1.2000 के बाद नहीं किया जाय तथा ये सीमाएं 31 मार्च 2001 तक अक्षुण्ण रखी जाय ।

3- यदि वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों के क्षेत्रों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की विशेष आवश्यकता महसूस हो अथवा नयी प्रशासनिक इकाई गठित करना अति आवश्यक हो तो वैसी स्थिति में प्रगणक ब्लॉकों (Enumeration Blocks) के सीमांकन करने के पूर्व अर्थात दिनांक 1.1.2000 के पूर्व तक परिवर्तन को अंतिम रूप देकर कार्यान्वित कर लिया जाय । साथ ही दिनांक 1.1.2000 के पूर्व तक नगर निगम नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, राजस्व मौजा, अंचल, सामुदायिक विकास प्रखंड, आरक्षी थाना, अनुमण्डल, जिला, प्रमण्डल आदिके अधिक्षेत्रों में यदि कोई परिवर्तन अथवा सामंजन किया जाय या नयी प्रशासनिक इकाई का गठन किया जाय तो किये गये परिवर्तनों के संबंध में पूर्ण विवरण निदेशक, जनगणना, बिहारपटना तथा भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अवश्य भेज दिया जाय । सरकार के संबंधित विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य की किसी भी प्रशासनिक इकाई की सीमाओं में कोई भी परिवर्तन 1.12000 से 31.

3.2001 के बीच किसी भी परिस्थिति में न किया जाय ।

4- आप अवगत हैं कि जनगणना का कार्य समय सीमा के अंदर पूरा करना होता है । इस संबंध में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में जनगणना निदेशालय को बहुत प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करनी होती है । साथ ही क्षेत्रों में चल रहे जनगणना के महत्वपूर्ण प्रारंभिक कार्यों की प्रगति के संबंध में भी जनगणना निदेशालय को अवगत कराने की जरूरत होती है । इन सूचनाओं एवं प्रगति प्रतिवेदन के समय पर नहीं मिलने से कार्य बाधित होता है । अतः अनुरोध है कि जिला समन्वय समिति की जो बैठकें बुलाई जायं उनमे जनगणना निदेशालय के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित कियाजाय ताकि जिला अधिकारियों को जनगणना कार्यों की अद्यतन प्रगति के संबंध में अवगत कराया जा सके ।

5- यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है । अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक : यथा उपरोक्त

आपका विश्वासभाजन,
ह०/-
(एस0 एन0 विश्वास)
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक-860 / रा0, दिनांक - 15, दिनांक 4.9.99

प्रतिलिपि :- 1. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार 2/ए मानसिंह रोड, नई दिल्ली -110011

2. निदेशक जनगणना परिचालन, बिहार, बोरिंग केनाल रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-
(एस0 एन0 विश्वास)
मुख्य सचिव, बिहार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

॥ अधिसूचना ॥

एस0 ओ0 4 / जनगणना -01/2001 403 / रा0 पटना - 15 दिनांक 2/3/2001

जनगणना अधिनियम 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या - 37) की धारा - 17 ''क'' के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल केन्द्रीय सरकार गृह मंत्रालय भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या का0 आ0 39 (अ0) दिनांक-10 जनवरी 2001 जो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के हस्ताक्षर से निर्गत है, के आलोक में भारत की जनगणना 2001 की जनसंख्या की गणना से संबंधित गणना उपरान्त सर्वेक्षण करने के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार करते हैं । बिहार राज्य में दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से दिनाक 30 जून 2001 के बीच गणना उपरान्त सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा ।

बिहार राज्यपाल के अनुदेशानुसार

ह०/-

(आर0 के0 चौधरी)

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक-403/ रा0, पटना - 15 दिनांक 2.3.2001

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/राज्यपाल के सचिव/ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार पटना/ विकास आयुक्त, बिहार पटना/ सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणनाआयुक्त, कोटा हाउस एनेक्सी, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011 / निदेशक, जनगणना परिचालन, बिहार, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, पटना -1 / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला जनगणना पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सभी नगर निगम के प्रशासक/सभी नगरपालिका के कार्यपालक/विशेष पदाधिकारी / सभी अधिसूचित क्षेत्र समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सभी छावनी बोर्ड के प्रशासी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(आर0 के0 चौधरी)

सरकार के अवसर सचिव ।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

एस० ओ० 4/ जनगणना – 62/2000-1253 / रा०, पटना – 15, दिनांक 25.11.2000

जनगणना (संशोधित) अधिनियम, 1993 (वर्ष 1994 का संख्या – 11) की धारा 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत करते हैं ।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार ।

ह०/-

(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक-4/जनगणना-62/2000-1253 / रा०, पटना – 15, दिनांक 25.11.2000

<u>प्रतिलिपि :-</u>

1. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
2. राज्यपाल के सचिव/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार पटना/ विकास आयुक्त, बिहार पटना/ सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ भारत के रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, कोटा हाउस एनेक्सी, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली -110011 /निदेशक जनगणना परिचालन, बिहार, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, पटना-1/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी जिला जनगणना पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी नगर निगम के प्रशासक/सभी नगरपालिका के कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/सभी अधिसूचित क्षेत्र समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सभी छावनी बोर्ड के प्रशासी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)

आयुक्त एवं सचिव ।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

एस0 ओ0 4/ जनगणना - 44/2000-1251 / रा०,

पटना - 15, दिनांक 24.11.2000

जनगणना अधिनियम 1948 (वर्ष 1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 37) के तहत बनाये गये नियमों के नियम संख्या 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल भारत का राजपत्र असाधारण भाग - II- खण्ड 3-उपखण्ड (ii) दिनाक 6 सितम्बर, 2000 में प्रकाशित केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना का. आ. 808 (अ), जो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित है को राज्य के राजपत्र में पुर्नप्रकाशित करने का आदेश देते हैं ।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार ।

अनु: केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना का. अ. 808
(अ) दिनांक 6 सितम्बर, 2000

ह०/-
(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।
पटना - 15, दिनाक 24.11.2000

ज्ञापांक-4/जनगणना-44/2000-1251 रा०

प्रतिलिपि :-

1. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह०/-
(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

॥ अधिसूचना ॥

एस0 ओ0 4 / जनगणना -45/2000 / 1208 / रा0 , पटना - 15 दिनांक 4.11.2000

जनगणना अधिनियम 1948 (1948 का 37) की धारा - 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहारके राज्यपाल, केन्द्रीय सरकार, गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या - का0 आ0 672 (अ) दिनांक 18 जुलाई 2000 जो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के हस्ताक्षर से निर्गत है, के आलोक में यह आदेश देते हैं कि जनगणना कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने स्थानीय क्षेत्रों में, जिनके लिए उनकी नियुक्ति की गई है, भारत की जनगणना 2001 के संबंध में परिवार अनुसूची के माध्यम से जानकारी एकत्रित करने के लिए सभी व्यक्तियों से निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सभी प्रश्न पूछ सकेंगे :-

1. व्यक्ति का नाम
2. परिवार के मुखिया से सम्बन्ध
3. लिग : पुरूष - 1 / स्त्री - 2
4. आयु गत जन्म दिन पर (पूर्ण वर्षों में)
5. वर्त्तमान वैवाहिक स्थिति (पूर्ण वर्षों में)
6. विवाह के समय आयु
7. धर्म
8. यदि अनुसूचित जाति के हैं, तो अनुसूचित जाति का नाम दर्ज करें
9. यदि अनुसूचित जनजाति के हैं तो अनुसूचित जनजाति का नाम दर्ज करें
10. मातृभाषा
11. अन्य भाषाओं का ज्ञान (प्रवीणता के क्रम में दो भाषाएँ तक दर्ज करें)
12. साक्षरता की स्थिति : साक्षर - 1 / निरक्षर - 2
13. प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर
14. शिक्षा ग्रहण करने का वर्तमान संस्थान :- स्कूल - 1 / कॉलेज - 2 / व्यवसायिक संस्थान -3 / अन्य संस्थान -4/ साक्षरता केन्द्र -5/ या अगर नहीं पढ़ते हैं - 0
15. यदि व्यक्ति शारीरिक / मानसिक रूप से नि:शक्त है तो उपयुक्त कोड नम्बर दें । देखने में -1, बोलने में -2 सुनने में -3, चलने-फिरने में -4, मानसिक रुप से - 5
16. क्या इस व्यक्ति ने गत वर्ष किसी भी समय कोई कामकाज किया ? (इसमें खेत-खलिहान, पारिवारिक उद्यम अथवा किसी अन्य आर्थिक कार्यकलाप में अंशकालिक सहयोग या अवैतनिक काम भी शामिल है (यदि 6 माह या उससे अधिक काम किया (दीर्घकालिक कर्मी)
    यदि 6 माह से कम काम किया (अल्पकालिक कर्मी)
    यदि कोई भी काम नहीं किया (गैर कर्मी)
17. दीर्घकालिक या अल्पकालिक कर्मी का आर्थिक कार्यकलाप

17 (i) दीर्घकालिक या अल्पकालिक कर्मी के आर्थिक कार्यकलाप की श्रेणी :
काश्तकार - 1/खेतिहर मजदूर -2/ पारिवारिक उद्योग कर्मी-3/अन्य कर्मी -4/

17 (ii) व्यक्ति का पेशा

17(iii) जहां व्यक्ति कार्यरत है/था अथवा जो उसका अपना रोजगार ही उस उद्योग, व्यापार अथवा सेवा के स्वरुप का पूरा ब्योरा दें ।

17(iv) कर्मी का वर्ग : मालिक -1/कर्मचारी-2/ एकल कर्मी-3/ पारिवारिक कर्मी-4

18. यदि अल्पकालिक कर्मी या गैर कर्मी है तो गैर आर्थिक कार्यकलाप दर्ज करें : विद्यार्थी -1/गृह कार्य -2/आश्रित-3/पेंशन भोगी-4/भिखारी-5/ अन्य -6

19. यदि अल्पकालिक कर्मी या गैरकर्मी है तो क्या व्यक्ति काम की खोज में है/काम के लिए उपलब्ध है ?

20. कार्य स्थल तक सफर

20.(i) निवास से कार्य स्थल तक की कुल दूरी किलोमीटर में

20.(ii) कार्य स्थल तक सफर का साधन

21. जन्म स्थल

क्या व्यक्ति काजन्म इसी गांव/नगर में हुआ है ?

21 (i) यदिजन्म स्थल भारत में है उसे उस राज्य कावर्तमान नाम लिखें, यदि जन्म स्थान भारत से बाहर है तो उस देश का वर्तमान नाम लिखें-

21 (ii) यदि जन्म स्थान भारत में है तो उस जिले का वर्त्तमान नाम लिखें, यदि जन्म स्थान भारत से बाहर है तो डैश (-) लगाएं

22. पूर्व निवास स्थान

क्या व्यक्ति किसी अन्य स्थान से इस गांव/नगर में आया है ?

22 (i) यदि पूर्व निवास स्थान भारत में है तो उस राज्य का वर्तमान नाम लिखें, यदि पूर्व निवास स्थान भारत से बाहर है तो उस देश का वर्तमान नाम लिखें

22 (ii) यदि पूर्व निवास स्थान भारत में है तो उस जिले कावर्तमान नाम लिखें और यदि पूर्व निवास स्थान भारत से बाहर है तो डैश (-) लगाएं

22(iii) स्थान परिवर्तन के समय पूर्व निवास स्थान के क्षेत्र की स्थिति : ग्रामीण - 1/नगरीय -2

22(iv) व्यक्ति के स्थान परिवर्तन काकारण

22 (v) स्थान परिवर्तन के बाद इस गांव अथवा नगर में निवास की अवधि

23. प्रजन्नता (उस सभी महिलाओं के लिएजो इस समय विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या संबंध विच्छेदित है ।

23 (i) इससमय जीवित बच्चों की संख्या (इस समय साथ न रह रहे पुत्रियों एवं पुत्रों की भी शामिल करें)

23 (ii) जोवित पैदा हुए कुल बच्चों की संख्या (जीवित और मृत पुत्रियों एवं पुत्रों को शामिल करें)
(इससमय विवाहित महिलाओं के लिए)

23(iii) गत एक वर्ष के दौरान जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या काश्तकारी/बागान मे कार्यरत परिवारों के लिए:-

(i) काश्तकारी/ बगान भूमि कीकुल निवल (Net) क्षेत्रफल (हेक्टेयर और आर में)

(ii) सिंचाई वाली भूमि निवल (Net) क्षेत्रफल हेक्टेयर और आर में)

(iii) काश्तकारी/बागान भूमि पर अधिकार की स्थिति :- अपनी-1/ किराए की -2/ अपनी और किराए की - 3

बिहार राज्यपाल के अनुदेशानुसार
ह०/-
(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)
आयुक्त एव सचिव ।

ज्ञापांक-4 / जनगणना -45/2000 - 1208 / रा०, पटना - 15 दिनांक 4.11.2000

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/राज्यपाल के सचिव/ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव,छ बिहार पटना/ विकास आयुक्त, बिहार पटना/ सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणनाआयुक्त, कोटा हाउस एनेक्सी, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011 / निदेशक, जनगणना परिचालन, बिहार, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, पटना -1 / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला जनगणना पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सभी नगर निगम के प्रशासक/सभी नगरपालिका के कार्यपालक/विशेष पदाधिकारी / सभी अधिसूचित क्षेत्र समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सभी छावनी बोर्ड के प्रशासी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)
आयुक्त एव सचिव ।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

॥ अधिसूचना ॥

एस0 ओ0 4 / स्था0 संवा0 जन0-14/2000 - 321 / रा0 पटना - 15 दिनांक 13.5.2000

जनगणना अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या - 37, सन् 1948) के तहत बनाये गये जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 (iv) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल भारत की जनगणना 2001 के लिए बिहार राज्य के सभी जिलों, अनुमण्डलों, सामुदायिक विकास प्रखंडों, सांविधिक शहरों, ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक 31 दिसम्बर 1999 के पश्चात से भारत की जनगणना 2001 का कार्य पूर्ण होने की तिथि 31 मार्च 2001 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किये जाने का आदेश देते हैं । बिहार के राज्यपाल यह भी आदेश देते हैं कि क्षेत्राधिकार की सीमाओं में 1 जनवरी 2000 से पूर्व हुए परिवर्तनों से संबंधित सूचना एवं वांछित अधिसूचना निदेशक जनगणना परिचालन, बिहार, पटना को अग्रसारित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के अनुदेशानुसार

ह०/-

(वैद्यनाथ प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-4 / स्था0 / संवा0 जन0 14/2000 - 321 / रा0, पटना - 15 दिनांक 13.5.2000

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/राज्यपाल के सचिव/ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार पटना/ विकास आयुक्त, बिहार पटना/ सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणनाआयुक्त, कोटा हाउस एनेक्सी, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011 / निदेशक, जनगणना परिचालन, बिहार, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, पटना -1 / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला जनगणना पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सभी नगर निगम के प्रशासक/सभी नगरपालिका के कार्यपालक/विशेष पदाधिकारी / सभी अधिसूचित क्षेत्र समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सभी छावनी बोर्ड के प्रशासी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(वैद्यनाथ प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव ।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

॥ अधिसूचना ॥

एस0 ओ0 4 / स्था0 जन0-22/2000 - 255 / रा0 पटना - 15 दिनांक 22.4.2000

जनगणना अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या - 37, सन् 1948) के तहत बनाये गये जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 (iii) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल केन्द्रीय सरकार, गृह मंत्रालय भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या - का0 आ0 242 (अ0) दिनांक 15 मार्च 2000 जो भारत के महारजिस्ट्रार एव जनगणना आयुक्त के हस्ताक्षर से निर्गत है के आलोक में आदेश देते हैं कि बिहार राज्य में भारत कीजनगणना 2001 के प्रथम चरण अर्थात मकान सूचीकरण का कार्य दिनांक 15 मई, 2000 से दिनांक 15 जून, 2000 की अवधि के दौरान किया जाएगा ।

बिहार राज्यपाल के अनुदेशानुसार

ह0/-
(वैद्यनाथ प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक - 255 / रा0, पटना - 15 दिनांक 22.4.2000

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/राज्यपाल के सचिव/ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव,ख बिहार पटना/ विकास आयुक्त, बिहार पटना/ सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणनाआयुक्त, कोटा हाउस एनेक्सी, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011 / निदेशक, जनगणना परिचालन, बिहार, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, पटना -1 / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला जनगणना पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सभी नगर निगम के प्रशासक/सभी नगरपालिका के कार्यपालक/विशेष पदाधिकारी / सभी अधिसूचित क्षेत्र समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सभी छावनी बोर्ड के प्रशासी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(वैद्यनाथ प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव ।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

॥ अधिसूचना ॥

एस0 ओ0 4 / जनगणना - 46/2000 - 248 / रा0 पटना - 15 दिनांक 20.4.2000

जनगणना अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 37, सन् 1948) की धारा 8(1) एवं 8(2) के साथ पठित जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 (i) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि भारत की जनगणना 2001 की पूरी अवधि के दौरान जनगणना कार्य से संबधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों (पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों सहित) के द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के बारे में अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही-सही एवं सुस्पष्ट जानकारी देना प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य होगा ।

बिहार के राज्यपाल यह भी आदेश देते हैं कि भारत की जनगणना 2001 की पूरी अवधि के दौरान जनगणना से संबद्ध पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों (पर्यवेक्षकों, प्रगणकों आदि सहित) द्वारा पूछे गये प्रश्नों के बारे में अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सही-सही एवं सुस्पष्ट जानकारी नहीं देनेवाले व्यक्ति जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के अंतर्गत अँकित शास्तियों के भागी होंगे जो सर्वसाधारण की जानकारी के लिए नीचे उद्धृत की जाती हैं :-

11. (1) (क) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनणना करने में सहायता देने के लिए विधिपूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति जो इस अधिमियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने से इन्कार करेगाया कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्त्तव्य का पालन करने में अन्य व्यक्ति को प्रतिबाधित याबाधित करेगा, या

(क) (क) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधिपूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार उस पर अधिरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन करने या उसको दिए गए किसी आदेश का पालन करने के लिए उसमें युक्तियुक्त तत्परता बरतने में उपेक्षा करेगाया, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्त्तव्य का पालन करने में या किसी ऐसे आदेश का पालन करने में अन्य व्यक्ति को प्रतिबाधित याबाधित करेगा, या

(ख) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी, जो साशय कोई संतापकारी या अनुचित प्रश्न करेगा या जानते हुए कोई मिथ्या विवरणी तैयार करेगा या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई ऐसी जानकारी प्रकट करेगा जो उसने जनगणना विवरणी से या उसके प्रयोजन के लिए प्राप्त की है, या

(ग) कोई ऐसा सार्टर, संकलक याजनगणना कर्मचारिवृन्द का अन्य सदस्य, जो किसी जनगणना दस्तावेज का अपसारण करेगा, उसे छिपाएगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा या उसे नष्ट करेगा अथवा किसी जनगणना दस्तावेज को इस प्रकार व्यवहार में लाएगा जिससे जनगणना परिणामों के सारणीय का मिथ्याकरण या ह्रास होना संभाव्य हो, या

(घ) कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी द्वारा उससे पूछे गए किसी ऐसे प्रश्न का जिसका उत्तर देने के लिए वह धारा 8 द्वारा वैध रूप से आबद्ध है, साशय मिथ्या उत्तर देगा, या अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उत्तर देने से इन्कार करेगा, या

(ङ) किसी गृह, अहाते, जलयान या अन्य स्थान का अधिभोग करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो जनगणना अधिकारी को उसमें ऐसा युक्तियुक्त प्रवेश करने देने से इंकार करेगा जैसा कि वह धारा 9 द्वारा अनुज्ञा देने के लिए अपेक्षित है, या

(च) कोई ऐसा व्यक्ति जो किन्हीं ऐसे अक्षरों, चिह्नों या संख्यांकों को, जिन्हें जनगणना के प्रयोजनों के लिए अंकित किया या लगाया गया है, हटाएगा, मिटाएगा, परिवर्तित करेगा, या उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, या

(छ) कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे धारा 10 के अधीन अनुसूची भरने की अपेक्षा कीगई हो, जानते हुए और बिना पर्याप्त हेतु के उस धारा के उपबन्धों काअनुपालन करने में असफल रहेगा, या उसके अधीन कोई मिथ्या विवरणी देगा, या

(ज) कोई ऐसा व्यक्ति जो जनगणना कार्यालय में अतिचार करेगा, जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और भाग (क), (ख) या (ग) के अधीन दोष सिद्धि की दशा में कारावास से भी, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार

ह0/-
(वैद्यनाथ प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-4 / स्था0 / संवा0 जन0 46/2000 - 248 रा0, पटना - 15 दिनांक 20.4.2000

प्रतिलिपि :-

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/राज्यपाल के सचिव/ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार पटना/ विकास आयुक्त, बिहार पटना/ सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/भारत के महारजिस्ट्रा एवं जनगणनाआयुक्त, कोटा हाउस एनेक्सी, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011 / निदेशक, जनगणना परिचालन, बिहार, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, पटना -1 / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला जनगणना पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सभी नगर निगम के प्रशासक/सभी नगरपालिका के कार्यपालक/विशेष पदाधिकारी / सभी अधिसूचित क्षेत्र समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सभी छावनी बोर्ड के प्रशासी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(वैद्यनाथ प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव ।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

॥ अधिसूचना ॥

एस0 ओ0 4 / जनगणना - 44/2000 247/रा०, पटना - 15 दिनांक 20.4.2000

जनगणना अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या - 37, सन् 1948) के तहत बनाये गये जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 (i) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल केन्द्रीय सरकार, गृह मंत्रालय भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या - का0 आ0 474 (अ0) दिनांक 18 जून 1999 जो भारत के महारजिस्ट्रार एव जनगणना आयुक्त के हस्ताक्षर से निर्गत है के आलोक में यह आदेश देते हैं कि वर्ष 2001 के दौरान भारत की जनसंख्या की गणना की जाएगी और बिहार राज्य में जनगणना के लिए संदर्भ तारीख मार्च, 2001 का प्रथम दिवस होगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार

ह०/-
(वैद्यनाथ प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-4 / जनगणना - 44/ 2000 - 247 रा0, पटना - 15 दिनांक 20.4.2000

प्रतिलिपि :-

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/राज्यपाल के सचिव/ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार पटना/ विकास आयुक्त, बिहार पटना/ सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणनाआयुक्त, कोटा हाउस एनेक्सी, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011 / निदेशक, जनगणना परिचालन, बिहार, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, पटना -1 / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला जनगणना पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सभी नगर निगम के प्रशासक/सभी नगरपालिका के कार्यपालक/विशेष पदाधिकारी / सभी अधिसूचित क्षेत्र समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सभी छावनी बोर्ड के प्रशासी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(वैद्यनाथ प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव ।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

॥ अधिसूचना ॥

एस0 ओ0 4 / जनगणना - 45/2000 - 246/रा०. पटना - 15 दिनांक 20.4.2000

जनगणना अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या - 37, सन् 1948) की धारा 8 (1) के साथ पठित जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल केन्द्रीय सरकार, गृह मंत्रालय भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या - का0 आ0 49 (अ0) दिनांक 13 जनवरी 2000 जो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के हस्ताक्षर से निर्गत है के आलोक में यह आदेश देते हैं कि जनगणना कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने स्थानीय क्षेत्रों में जिनके लिए उनकी नियुक्ति की गई है, भारत की जनगणना 2001 के संबंध में मकान सूची अनुसूची के माध्यम से जानकारी एकत्रित करने के लिए सभी व्यक्तियों से निम्नलिखित विषयों के संबंध में सभी प्रश्न पूछ सकेंगे :-

1. भवन नम्बर (नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकारण या जनगणना नम्बर)
2. जनगणना मकान नम्बर
3. जनगणना मकान के फर्श, दीवार और छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
4. जनगणना मकान का उपयोग
5. जनगणना मकान की हालत : अच्छी-1/रहने योग्य-2/जीर्ण-शीर्ण-3
6. परिवार क्रमांक
7. इस परिवार में सामान्यत: रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या
   (i) व्यक्ति
   (ii) पुरुष
   (iii) स्त्रियाँ
8. परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण
   (क) परिवार के मुखिया का नाम
   (ख) पुरुष -1/स्त्री -2
   (ग) अ.जा. (अनुसूचित जाति) या अ.ज.जा. (अनुसूचित जनजाति) या अन्य ? अ. जा. (अनुसूचित जाति)-1 / अ.ज.जा. (अनुसूचित जनजाति)-2/ अन्य -3
9. केवल सामान्य परिवारों के लिए :
   (क) इस मकान के स्वामित्व की स्थिति ? अपना-1/किराये का-2/अन्य -3
   (ख) इसपरिवार के पास रहने के लिएउपलब्ध कमरों की संख्या (0, 1, 2, 3... दर्ज करें)
   (ग) इस परिवार में रहने वाले विवाहित दम्पत्तियों की संख्या (0, 1, 2, 3... दर्ज करें)
   (घ) विवाहित दम्पतियों की संख्या जिनके पास अलग शयन कक्ष है (0, 1, 2, 3... दर्ज करें)
   (ङ) पेय जल का स्रोत
   (च) पेय जल का स्रोत : परिसर के अन्दर-1/परिसरके निकट -2/ दूर-3
   (छ) प्रकाश कास्रोत
   (ज) मकान के अन्दर शौचालय : शौचालय नहीं -0/ सर्विस शौचालय -1/ गड्ढा शौचालय-2/ वाटर क्लोजट -3
   (झ) गन्दे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है : ढंकी नाली से -1 / खुली नाली से -2/ किसी भी नाली से नहीं -3
   (ञ) मकान के अन्दर स्नानगृह : हाँ -1/ नहीं -2
   (ट) मकान के अन्दर रसोई घर : हाँ-1/ नहीं -2 / खुले में खाना पकता है -3/ खानानहीं पकाते -4
   (ठ) खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन

(ड) रेडियो/ट्रांजिस्टर : हाँ-1/ नहीं -2

(ढ) टलीविजन : हाँ-1/ नहीं -2

(ण) टेलीफोन : हाँ-1/ नहीं -2

(त) साइकिल : हाँ-1/ नहीं -2

(थ) स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड : हाँ-1/ नहीं -2

(द) कार/जीप/वैन : हाँ-1/ नहीं -2

(ध) बैंकिग सेवा का उपयोग कर रहे हैं : हाँ-1/ नहीं -2

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार

ह०/-

(वैद्यनाथ प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-4 / जनगणना - 45/ 2000 - 246 / रा0, पटना - 15 दिनांक 20.4.2000

प्रतिलिपि :-

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/राज्यपाल के सचिव/ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार पटना/ विकास आयुक्त, बिहार पटना/ सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणनाआयुक्त, कांटा हाउस एनेक्सी, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011 / निदेशक, जनगणना परिचालन, बिहार, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, पटना -1 / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला जनगणना पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सभी नगर निगम के प्रशासक/सभी नगरपालिका के कार्यपालक/विशेष पदाधिकारी / सभी अधिसूचित क्षेत्र समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सभी छावनी बोर्ड के प्रशासी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(वैद्यनाथ प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव ।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।।
बिहार सरकार

।। अधिसूचना ।।

एस0 ओ0 4 / जनगणना - 31/99- 244/रा०, पटना - 15 दिनांक 20.4.2000

जनगणना अधिनियम 1948 का अधिनियम संख्या - 37 की धारा - 4 की उपधारा -2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य के विभिनन प्रशासनिक पदाधिकारियों को जनगणना 2001 के कार्यान्वयन हेतु अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्न रूप में नियुक्त करते हैं :-

	प्राधिकार	पदनाम (जिस रूप में अधिसूचित किया जाना है)
1.	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/ जिला योजना पदाधिकारी	अपर जिला जनगणना पदाधिकारी (Additional District Census Officer)
2.	उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ उप प्रशासक, नगर निगम	सिटी जनगणना पदाधिकारी (City Census Officer)
3.	अनुमण्डल पदाधिकारी	अनुमण्डल जनगणना पदाधिकारी (Subdivisional Census Officer)
4.	अनुमण्डल कार्यालय के उप समाहर्त्ता	सहायक अनुमंडल जनगणना पदाधिकारी (Assistant Subdivisional Census Officer)
5.	प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी (जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है)	चार्ज जनगणना पदाधिकारी (Charge Census Officer)
6.	विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी/ उपाध्यक्ष-नगर पालिका एवं अधिसूचित क्षेत्र समिति	नगर जनगणना पदाधिकारी (Town Census Officer)
7.	बड़े नगर निगमों के लिए विभिन्न सर्किलो के कार्यपालक पदाधिकारी/सहायक प्रशासक	नगर जनगणना पदाधिकारी (Town Census Officer)
8.	प्रखंडसांख्यिकी पर्यवेक्षक/कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक/ ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक	सहायक चार्ज जनगणना पदाधिकारी (Assistant Charge Census Officer)
9.	नगर निकाय के वरीय सहायक/पर्यवेक्षक/ सफाई निरीक्षक/कर संग्रहक	सहायक नगर जनगणना पदाधिकारी (Assistant Town Census Officer)
10.	कैन्टोनमेंट बोर्ड/छावनी के नियंत्रक/ कार्यपालक पदाधिकारी	नगर जनगणना पदाधिकारी (Town Census Officer)

जनगणना अधिनियम 1948 (अधिनियम संख्या -37) की धारा 4 की उप धारा-4 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुएबिहार के राज्यपाल सभी जिला दण्डाधिकारिें (जिन्हें पूर्व में प्रमुख जनगणना पदाधिकारी के रूप में अधिघोषित किया जाचुका है) एवं स्तम्भ 2 में नामित प्राधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अन्य जनगणना पदाधिकारिें को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करते हैं ।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार

ह०/-
(वैद्यनाथ प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-4 / जनगणना - 31-99 - 244 / रा0.   पटना - 15 दिनांक 20.4.2000

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना ।
2. सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना ।
3. महारजिस्ट्रार एवं जनगणनाआयुक्त, भारत, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011
4. निदेशक, जनगणना परिचालन, बिहार, पटना ।
5. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
6. सभी जिला समाहर्त्ता/उपायुक्त
7. सभी अपर समाहर्त्ता
8. सभी अनुमंडल पदाधिकारी
9. सभी अंचल अधिकारी
10. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
11. सभी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, नगर निकाय/ सभी परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी
12. सभी छावनी बोर्ड/छावनी बोर्ड के कार्यपालक पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(वैद्यनाथ प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव ।

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना – 15, दिनांक 6 मार्च 2000

संख्या - 1 /पी - 009 / 2000 खंड (का0 1882 / अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के रूप में पदस्थापित श्री वैद्यनाथ प्रसाद, भा0 प्रे0 से0 (88) अगले आदेश तक अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त जनगणना 2001 से संबंधित कार्यों के सम्पादनार्थ नोडल पदाधिकारी के भी प्रभार में रहेंगे ।

बिहार राज्यपाल के अनुदेशानुसार

ह०/-

(अलका तिवारी)

सरकार के अपर सचिव ।

संख्या - 1 /पी-009 / 2000 (खंड) का0 1882 पटना - 15, दिनांक 6 मार्च 2000

प्रतिलिपि :-

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली/स्थापना पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सहित/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली/महालेखाकार, बिहार, पटना / पो0 - हिनू, रांची/ मुख्यमंत्री सचिवालय / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार पटना / मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्युटर सेल / राज्यपाल, बिहार पटना के सचिव / निदेशक, जनगणना, बिहार, पटना / आयुक्त एवं सचिव, विकास, बिहार, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी/ भू-सम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार पटना / संबंधित पदाधिकारी / कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव ।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

॥ अधिसूचना ॥

एस॰ ओ॰ 1151 / रा०, पटना - 15, दिनांक 29.11.99

जनगणना अधिनियम 1948 का अधिनियम संख्या - 37 की धारा - 4 की उपधारा -2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारियों को जनगणना 2001 के कार्यान्वयन हेतु अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रमुख जनगणना पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं ।

जनगणना अधिनियम 1948 (अधिनियम संख्या -37) की धारा 4 की उप धारा-4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल सभी जिला दण्डाधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अन्य जनगणना पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करते हैं ।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार

ह०/-
(वैद्यनाथ प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-4 / स्था॰ सेवा॰ जन॰ - 14/99 1151 / रा०, पटना - 15, दिनांक 29.11.99

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना ।
2. सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना ।
3. महारजिस्ट्रार एवं जनगणनाआयुक्त, भारत, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011
4. निदेशक, जनगणना परिचालन, बिहार, पटना ।
5. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
6. सभी जिला समाहर्त्ता/उपायुक्त
7. सभी अपर समाहर्त्ता
8. सभी अनुमंडल पदाधिकारी
9. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
10. सभी अंचल अधिकारी
11. सभी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, नगर निकाय/ सभी परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(वैद्यनाथ प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव ।